



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 22 अप्रैल, 2026 ई०

बैशाख 02, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

श्रम विभाग

संख्या- 493 / VIII-1 / 26-17(श्रम) / 2026

देहरादून, 22 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त अधिनियम, 1947 की धारा-3 (ख) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियंत्रण इकाईयों/उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण पर विचार-विमर्श कर राज्य सरकार को संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या-157525 /23-228/श्रम/2001 पार्ट-II दिनांक 12.07.2023 को अतिक्रमित करते हुए त्रिदलीय समिति का गठन निम्नवत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

सरकार के प्रतिनिधि:-

1. सचिव श्रम विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड।

— अध्यक्ष
— सदस्य

उद्योगों के प्रतिनिधि के सदस्य:-

1. श्री उत्तम सिंह जन्तवाल, एच०आर०हैड,
सनसेरा इन्जीनियरिंग लि०पन्तनगर।
2. श्री आर०सी० एस०नेगी, हैड एच०आर० एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन,
एस०ए०एल० ऑटोमोटिव लि० रामेश्वरपुर, लालपुर, उधमसिंहनगर।

— सदस्य
— सदस्य

श्रमिक प्रतिनिधि के सदस्य

1. श्री ललित पुरोहित, अध्यक्ष एस०के०एफ० इण्डिया लि० हरिद्वार— — सदस्य
2. श्री गुरुचरन तिवारी, अध्यक्ष, मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, — सदस्य
वर्कर्स यूनियन द्वारा मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा,
प्लॉट न०— 1,2,3,17—20 सेक्टर 5 सिडकुल हरिद्वार।

2— समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार—विमर्श कर संस्तुति उपलब्ध करायेगी:—

- (क) इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजित कर्मकारों की वेतन संरचना एवं वेतन निर्धारण / पुनरीक्षण।
- (ख) कर्मकारों का वर्गीकरण।
- (ग) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय।

3— समिति की बैठक अध्यक्ष के निर्देशानुसार आहूत की जायेगी। समिति द्वारा यथाशीघ्र अपनी संस्तुति राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

आज्ञा से,

डा० श्रीधर बाबू अददांकी,
सचिव।